


जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद
(ई0वी0एम0 कोषांग)

-:संशोधित आदेश:-

प्रथम रैण्डमाईजेशन के उपरान्त विधान सभावार EVMs एवं VVPATs छँटनी का कार्य दिनांक 16.11.2019 से किया जाना था, कतिपय कारणवश उक्त छँटनी कार्य दिनांक 23.11.2019 से किया जायेगा, उक्त कार्य हेतु वेयर हाउस धनबाद (कोहिनूर मैदान कोर्ट कैम्पस) स्थित बज्रगृह पूर्वाह्न 10:30 बजे खोला जायेगा। शेष आदेश यथावत् रहेगा।

नोडल पदाधिकारी
ई0वी0एम0 कोषांग-सह-
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक47...../ई0वी0एम0, धनबाद दिनांक 19.11.19

प्रतिलिपि:-


प्रतिलिपि:-


प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
DIO, NIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
उप-निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बज्रगृह खुलने एवं छँटनी कार्य में उपस्थिति से संबंधित सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
सभी निर्वाची पदाधिकारी, धनबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित विधान सभा क्षेत्रवार छँटनी कार्य एवं बज्रगृह में रख-रखाव का पर्यवेक्षण अपने स्तर से भी करना सुनिश्चित करेंगे।
नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, धनबाद को सूचनार्थ।


नोडल पदाधिकारी
ई0वी0एम0 कोषांग-सह-
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
उपायुक्त, धनबाद।

